The Proactive Dicloser Documents as Per Section 4B (1-XVII) of Right to Information Act –2005 Nagar Palika Parishad Sikandrabad (Bulandshahr)

(i)प्रभाग विभाग /प्राधिकरण का संगठन एवं कार्यः–

नगर पालिका परिषद सिकन्द्राबाद के कार्य नगर पालिका अधिनियम 1916 (2) में निर्धारित है तथा इसी के अनुसार कार्य चलाये जाते है। वर्तमान में 1 अध्यक्ष, तथा 25 निर्वाचित सदस्य, 5 नामित सदस्य, 2 पदेन सदस्य है। इस प्रकार 1 अध्यक्ष एवं 32 सदस्यों का बोर्ड है।

(ii) प्रभाग /प्राधिकरण के अधिकारियों कार्मिकों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वः–

प्रभाग /प्राधिकरण के अधिकारियों /कर्मचारियों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व नगर पालिका परिषद अधिनियम 1916 (2) में निर्धारित किये गये है। और उसी के अनुसार पालिका अधिकारी/ कर्मचारी अपने कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों का निर्वाहन करते है।

(iii) प्रभाग /प्राधिकरण में सम्पादित किये जा रहे कार्यो के सम्बन्ध में निर्णय की प्रक्रिया तथा पर्यवेक्षक की विभिन्न स्तर पर जबाबदेही :–

नगर पालिका परिषद सिकन्द्राबाद में सम्पादिय किये जा रहे कार्यो के सम्बन्ध मे निर्णय बोर्ड /अध्यक्ष द्वारा लिये जाते है तथा पर्यवेक्षक की जबाबदेही अधिशासी अधिकारी, जलकल अभियन्ता, अवर अभियन्ता, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक स्तर पर होती है।

(iv) प्रभाग /प्राधिकरण में क्रिया–कलापों को सम्पादित करने हेतु निर्धारित प्राविधानः–

नगर पालिका परिषद सिकन्द्राबाद में क्रिया–कलापों के सम्पादित करने हेतु नगर पालिका अधिनियम 1916(2) में प्राविधान निर्धारित किये गये है। और उसी के अनुरूप क्रिया–कलाप निर्धारित किये जाते है।

(v)प्रभाग /प्राधिकरण में नियम–अधिनियम, निर्देश तथा उक्त हेतु उपलब्ध मैनुबल अभिलेखः–

नगर पालिका परिषद सिकन्द्राबाद में नगर पालिका अधिनियम समय–समय पर शासन द्वारा जारी आदेश /निर्देश बायलाज आदि अभिलेख उपलब्ध है।

(vi) प्रभाग /प्राधिकरण के नियन्त्रणाधीन विभिन्न प्रकार के अभिलेख एवं प्रकाशनः–

नगर पालिका परिषद सिकन्द्राबाद में उपलब्ध अभिलेखों का उल्लेख बिन्दु 4 में उल्लेखित कर दिया गया है। तथा समय–समय पर निविदा सूचना, आवश्यक सूचनाओं का प्रकाशन विभिन्न समाचार पत्रों में कराया जाता है।

(vii) प्रभाग /प्राधिकरण में कार्य योजना संरचना में जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्वः–

नगर पालिका परिषद सिकन्द्राबाद में विकास कार्य योजना का प्रस्ताव वोर्ड द्वारा वहुमत से स्वीकार किये जाते है। बोर्ड में 1 अध्यक्ष 25 सभासद निर्वाचित है तथा 5 नामित सदस्य व 2 पदेन सदस्य है।

(viii) प्रभाग /प्राधिकरण में परिषदीय कमैटीः–

नगर पालिका परिषद सिकन्द्राबाद में निर्वाचित बोर्ड में जलकल, स्वास्थ्य, लोक निर्माग, कर विभाग आदि समीतियों का गठन किया जाता है और समीतियों की सलाह पर अन्तिम निर्णय निर्वाचित बोर्ड द्वारा लिया जाता है।

(ix) प्रभाग /प्राधिकरण के अधिकारियों /कर्मचारियो की अनुक्रमणिकाः–

नगर पालिका परिषद सिकन्द्राबाद में अधिकारियों /कर्मचारियों की अनुक्रमणिका निम्नवत है– केन्द्रीय सेवा, सामान्य विभाग, कर विभाग, जलकल विभाग व स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की संख्या पदवार निम्न है–

क्र0स0	पदनाम	पद संख्या
1	अधिशासी अधिकारी	1
2	अवर अभियन्ता	1
3	सफाई एवं खादय निरीक्षक	1
4	कर अधीक्षक	1
5	कार्यालय अधीक्षक	1
6	जलकल अभियन्ता	1
7	राजस्व एवं कर निरीक्षक	2
8	लेखाकार	1
9	ड्राफ्टमेन	1
10	केशियर	1
11	लिपिक	8
12	लाईब्रेरियन मौहर्रिर	1
13	कार्यालय मौहर्रिर	1
14	राजस्व मौहर्रिर	7
15	वध गृह मौहर्रिर	1
16	कर समाहर्ता	1
17	ट्रेक्टर ड्राईवर	1
18	पम्प ड्राईवर	2
19	पाईप लाईन फिटर	1
20	पम्प अटेन्डेन्ट	2
21	सफाई नायक	5
22	अनुचर	29
23	माली	1
24	वेलदार	1
25	चौकीदार	3
26	सफाई कर्मचारी	117
27	संविदा सफाई कर्मचारी	147

(x) प्रभाग /प्राधिकरण में अधिकारी एवं कार्मिकों द्वारा पारिश्रमिक और उसके विवरणः–

नगर पालिका परिषद सिकन्द्राबाद में अधिकारियों एवं कार्मिकों वेतन /पारिश्रमिक का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाता है। प्रत्येक अधिकारी /कर्मचारी का व्यक्तिगत वेतन खाता भारतीय स्टेट बैंक ऑफ पटियाला तथा संविदा के कर्मचारियों का वेतन ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स सिकन्द्राबाद मे खुलवाया गया है। अधिकारियों /कर्मचारियों का पारिश्रमिक पालिका द्वारा उनके व्यक्तिगत खाते में जमा कराया जाता है तथा प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है।

(xi) प्रभाग /प्राधिकरण में कार्यालय को आवंटित, बजटः–

नगर पालिका परिषद सिकन्द्राबाद में कार्यालय को आंवटित बजट का विवरण निम्न है– वित्तीय वर्ष 2009–10 का आय–व्यय का अनुमानित बजटः–

आय का मदवार विवरण

क्र0 सं0	मद	मद विवरण	धनराशि
		गत वर्ष का अवशेष	3,45,77,122
1	3	गृह कर	23,00,000
2	7	जलकर	23,00,000
3	10	अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर शुल्क	50,00,000
4	10B	प्रेक्षागृह कर	1,00,000
5	14	लाइसेन्स पावर/रिक्शा आदि	10,000
6	16A	किराया दुकानात व मकानात	3,00,000
7	21B	बधगृह	10,000
8	23(i)	जल मूल्य	10,00,000
9	23(iii)	अन्य श्रोतो से जलकल आय	15,000
10	23A	प्रतिलिपि शुल्क	10,000
11	23B	लाइसेन्स हाथ ढेली, बुग्गी, रेहडी आदि	1,000
12	24	तावान (जुर्माना)	2,000
13	32A	12वॉ वित्त आयोग	22,00,000
14	32B	राज्य वित्त आयोग	3,70,00,000
15	41	विविध आय	20,00,000
16	45	रिवाल्विंग फन्ड़ (यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0) योजनार्न्तगत पालिका अंशदान हेतु	93,34,000
17	50	जमानत	1,00,000
18		कुल योग	9,62,59,122

व्यय का मदवार विवरण

क्र0सं0	मद	मद विवरण	धनराशि
1	1	सामान्य प्रशासन	31,50,000
2	2	कर विभाग	14,20,000
3	3	चुंगी विभाग	27,00,000
4	9	मार्ग प्रकाश	42,70,000
5	12	खरीददारी पाईप लाईन व अन्य जलकल सामान/डीजल मरम्मत व ठेका वेलदारी तथा यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 योजनान्तर्गत पालिका अंशदान	1,53,34,000
6	13	जलकल विभाग	29,20,000
7	16A	स्वास्थय विभाग (अधिष्ठान)	1,34,30,000
8	16B	संविदा सफाई कर्मचारियों का पारिश्रमिक	36,20,000
9	16C	खरीददारी डीजल/सफाई उपकरण तथा मरम्मत आदि	43,00,000
10	17	सफाई निरीक्षक	3,00,000
11	21	अन्य सफाई साधन	4,00,000
12	22	बधगृह	4,50,000
13	25	बाग बगीचा /माली	2,05,000
14	27	जन्म–मृत्यु पर व्यय	5,000
15	28	सार्वजनिक निर्माण विभाग	11,50,000
16	29	भवन/दुकान निर्माण/मरम्मत	60,00,000
17	30	सडक, खण्डजा, नाला, नाली, पुलिया निर्माण व मरम्मत आदि	2,50,00,000
18	34	पुस्तकालय	3,70,000
19	41	छपाई व खरीददारी	2,50,000
20	41A	मुकददमात	1,50,000
21	41B	पेंशन अंशदान	52,00,000
22	41F	विविध व्यय तथा शिष्टाचार/जलपान	19,60,000
23	51	जमानत	1,00,000
		कुलयोग	9,26,84,000

(xii) प्रभाग /प्राधिकरण में अनुदान /राज्य सहायता कार्यक्रमों क्रियान्वयन की रीतिः–

नगर पालिका परिषद सिकन्द्राबाद में अनुदान/ राज्य सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से कराये जाने वाले विकास कार्यो के प्रस्ताव जिलास्तर पर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित समीति एवं बोर्ड की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाते है तथा स्वीकृति उपरान्त निविदा आमन्त्रित करने आदि की कार्यवाही पूर्ण कर न्यूनतम निविदा जिलाधिकारी महोदय /बोर्ड द्वारा स्वीकृत किये जाने के उपरान्त विकास कार्य कराये जाते है तथा कार्य पूर्ण होने पर भुगतान की स्वीकृति जिलाधिकारी/ अध्यक्ष महोदय से प्राप्त करने के उपरान्त भुगतान किये जाते है। कार्यो के निर्माण के दौरान निर्माण कार्यो का निरीक्षण अधिशासी अधिकारी, अध्यक्ष महोदय एवं लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाता है।

(xiii) प्रभाग /प्राधिकरण में शिकायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राप्ति करने प्राप्ति कर्ताओं के सम्बन्ध में विवरणः–

नगर पालिका परिषद सिकन्द्राबाद में जनता से प्राप्त होने वाली शिकायतों एवं अनुज्ञापत्रों को प्राप्त करने हेतु एक लिपिक डाक प्राप्ति एवं प्रेषण के नाम से नियुक्त है तथा जनता से प्राप्त होने वाली शिकायतों एवं अनुज्ञापत्रों का निस्तारण कर शिकायत करता को सूचित किया जाता है।

(xvi) प्रभाग /प्राधिकरण में इलैक्ट्रॉनिक माध्यम परः–

नगर पालिका परिषद सिकन्द्राबाद मे कम्प्यूटर व्यवस्था है।

(xv) प्रभाग /प्राधिकरण से सूचना प्राप्ति करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सूचनाओं का विवरणः–

नगर पालिका परिषद सिकन्द्राबाद में नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिये म्यूनसिपल एक्ट, वित्तीय हस्त पुस्तिकाएं भाग 1 से 6 तक, बायलाज, शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेश एवं अन्य पालिका संबंधी अभिलेख उपलब्ध है।

(xvi) प्रभाग /प्राधिकरण में जनसूचना अधिकारी का नाम, पदनाम तथा विवरणः–

नगर पालिका परिषद सिकन्द्राबाद में सूचना का अधिकारी के अन्तर्गत अधिशासी अधिकारी को जनसूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस पालिका में इस समय श्री जगत पाल सिंह जनसूचना अधिकारी है।

(xvii) प्रभाग /प्राधिकरण में कोई अन्य सूचनाः–

कोई नही

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
सिकन्द्राबाद(बुलन्दशहर)

कार्यालय नगर पालिका परिषद सिकन्द्राबाद(बुलन्दशहर)

पत्रांकः— 98 / सा0वि0 / 2009—10 दिनॉकः 31.08.09

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर।

विषयः— दिनॉक 1 सितम्बर 2009 को जनपद बुलन्दशहर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आहूत समीक्षा बैठक हेतु सूचना।

महोदय,

उक्त सूचना के सम्बन्ध में बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार हैः—

1. सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(बी) से सम्बन्धित की सूचना जिले की वेबसाइड पर डलवाई गयी है।
2. सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(2) के अन्तर्गत एवं प्रेरणा (SUOMOTU) से किये गये उपाय के अन्तर्गत पालिका दीवारों पर लिखवाकर नोटिस बोर्ड द्वारा समाचार पत्र द्वारा सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था की जाती है।
3. नगर पालिका परिषद सिकन्द्राबाद में श्री जगत पाल सिंह अधिशासी अधिकारी जनसूचना अधिकारी है।
4. राज्य सूचना आयोग द्वारा पारित दण्डादेश की अनुपालन स्थिति इस पालिका परिषद पर कोई दण्डादेश नही हुआ है।
5. सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन में होने वाली कठिनाईयॉ तथा सुझाव—वहुत सी सूचना काफी पुरानी मांगी जाती है जिनका रिकार्ड उपलब्ध न होने के कारण कठिनाईयों का सामना करना पडता है।

भवदीय

for

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
सिकन्द्राबाद(बुलन्दशहर)